

कार्यालय:-जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु

क्रमांक:-1(जी)(1)स्था./2023/284

दिनांक:-11.12.2023

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अधिसूचना क्रमांक 08/ई.वी./2022 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सोमवार 25 दिसम्बर 2023 से रविवार 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि का शीतकालीन अवकाश घोषित कर अपने आदेश क्रमांक 13/विविध/2023 दिनांक 02.12.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25.12.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के शीतकालीन अवकाशों (Winter Holidays) में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय बंद रहने के कारण उक्त अवधि में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवदेन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे अथवा लंबित है उन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हे जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अधिकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक 13/विविध/2023 दिनांक 02.12.2023 की अनुपालना में, चूरु न्यायक्षेत्र में दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक शीतकालीन अवकाशों में, राजपत्रित अवकाशों एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर, निम्नांकित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारीगण को, जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवदेन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे अथवा लंबित है, की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अधिकृत/नियोजित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पदनाम	अवधि जिस हेतु अधिकृत/नियोजित किया गया है।
01	श्री लीलूराम सिहाग वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	26-12-2023 व 27-12-2023
02	श्री नवनीत, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	28-12-2023 से 30-12-2023

दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक के शीतकालीन अवकाशों की अवधि में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु का न्यायालय राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर उक्त शीतकालीन अवकाश में खुला रहेगा और इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

शीतकालीन अवकाश अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय बन्द रहेंगे। दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक के शीतकालीन अवकाशों के दौरान राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर शेष अवधि में कार्य करने हेतु जिन न्यायालयों को अधिकृत किया गया है, वे न्यायालय खुले रहेंगे।

चूरु न्यायक्षेत्र में एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता बनाए रखने हेतु चूरु न्यायक्षेत्र के निम्नांकित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट्स को उनके नाम के आगे अंकित तिथि हेतु अधिकृत किया जाता है:-

14
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चूरु (राज०)

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पदनाम	अवधि जिस हेतु अधिकृत/ नियोजित किया गया है।
01	श्री हर्ष मीणा, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय राजगढ	25-12-2023 से 27-12-2023
02	श्रीमती बबीता वर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	28-12-2023 से 31-12-2023

उक्त अधिकारियों को अपने मुख्यालयों पर रहकर चूरु न्यायक्षेत्र के सभी जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों एवं सेशन खण्ड के आवश्यक व दैनिक कार्य के सम्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त अवधि में जिन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया है, उन न्यायालयों के कर्मचारीगण राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर अपने-अपने न्यायालयों में उपस्थित रहेंगे। अन्य समस्त अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बन्द रहेंगे।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज.)

क्रमांक:-1(जी)(12)स्था./2000/9169-9213

दिनांक:-11.12.2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 01-न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चूरु
- 02-विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, चूरु
- 03-विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, चूरु
- 04- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु
- 05-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु/राजगढ नं. 1 व 2/तारानगर/सरदारशहर/ रतनगढ/सुजानगढ
- 06-मुख्य/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु/राजगढ/सरदारशहर/रतनगढ/सुजानगढ
- 07- प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, चूरु
- 08-न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु/राजगढ/तारानगर/सरदारशहर/सुजानगढ/बीदासर
- 09-न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, राजगढ
- 10- अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु
- 11-श्री लीलूराम सिहाग, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ
- 12-श्री नवनीत, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ
- 13- श्री हर्ष मीणा, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, राजगढ
- 14- श्रीमती बबीता वर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ
- 15-अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, चूरु/राजगढ/तारानगर/सरदारशहर/रतनगढ/सुजानगढ/बीदासर
- 16.-जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु को समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
- 17- सहायक निदेशक, अभियोजन, चूरु
- 18- लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक, चूरु
- 19-प्रभारी, जेल, चूरु/रतनगढ/राजगढ
- 20- सिस्टम ऑफिसर अ०हाजा को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड हेतु।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज.)